

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 01, बुधवार, शके 1947- जुलाई 23, 2025 Sravana 01, Wednesday, Saka 1947- July 23, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जविप्रा विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 23, 2025

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-9/2025/राजकाज रेफ्रेंस-13439913 :- बीपीसी (एलपी) की 324वीं बैठक दिनांक 15.09.2022में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982की धारा 25की उपधारा (3)के अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में जविप्रा की योजना सैन्ट्रल स्पाइन के जी ब्लॉक में स्थित जोनल विकास योजना-02की सड़को के विलोपन एवं अलाईमेंट परिवर्तन के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या अ, ब व स के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।

(अ) जोनल प्लान-02की प्रस्तावित दो (Diagonal) 18मीटर सड़कों (मार्क ए, बी) एवं एक (एल शेप) 18मीटर सड़क (मार्क सी) की सड़क का विलोपन किया गया है।

(ब) 200 फीट महल रोड के समानान्तर दर्शित 24मीटर (मार्क डी) सड़क को विलोपित किया जाकर 200 फीट सड़क की तरफ 100फीट सड़क रिप्लानिंग मानचित्र अनुसार रखी गयी है।

(स) जोनल प्लान में दर्शित 120 फीट सड़क (Diagonal) के दक्षिण दिशा में स्थित जोनल प्लान की 18मीटर सड़क (मार्क ई) व 30मीटर सड़क (मार्क एफ) का अलाईमेंट प्रस्तावित रिप्लानिंग मानचित्र अनुसार रखा गया है।

बीपीसी (एलपी) की 324वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982की धारा 25 (3)के अनुसरण में सार्वजनिक समाचार पत्र में दिनांक 21.12.2024को आम सूचना का प्रकाशन 30दिवस अवधि हेतु जन साधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु आमंत्रित किए गए थे। उक्त 30दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। प्रकरण में बीपीसी-एलपी की 383 वीं बैठक दिनांक 29.01.2025में उपरोक्त विवरण अनुसार जोनल प्लान संख्या 02की सड़को के विलोपन एवं अलाईमेंट परिवर्तन के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या अ, ब व स के अनुसार सैद्धान्तिक निर्णय का अनुमोदन करते हुये माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

:-जोनल विकास योजना-02की सड़को के विलोपन एवं अलाईमेंट परिवर्तन का निर्णय:-

माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से अनुमोदन प्राप्त होने पर, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982की धारा 25की उपधारा (1)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित मास्टर विकास योजना 2025जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में जोनल विकास योजना -02की प्रस्तावित दो (Diagonal) 18मीटर सड़कों (मार्क ए, बी) एवं एक (एल शेप) 18मीटर सड़क (मार्क सी) की सड़क का विलोपन किया जाता है। 200फीट महल रोड के समानान्तर दर्शित 24मीटर (मार्क डी) सड़क को विलोपित किया जाकर 200फीट सड़क की तरफ 100 फीट सड़क रिप्लानिंग योजना मानचित्र अनुसार रखी गयी है। जोनल प्लान में दर्शित 120फीट सड़क (Diagonal) के दक्षिण दिशा में स्थित जोनल प्लान की 18मीटर सड़क (मार्क ई) व 30मीटर सड़क (मार्क एफ) का अलाईमेंट प्रस्तावित रिप्लानिंग मानचित्र अनुसार रखा गया है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।
उक्त अधिसूचना का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाइट jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।